न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः - **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 22/2025

वादीया :–

1. सायरी पुत्री स्व. उजीर खां पत्नी गबरूदीन जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा हालमुकाम दुर्गा कालोनी रामदेव रोड पाली, तहसील व जिला पाली राज. जरिये खास मुख्त्यार कैलाश पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी अस्पताल के पास ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि हेतु

उपस्थितिः–वादीया – श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1– सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 5/5/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 2.9609 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार उजीर खां पिता अल्फू खां, कालूखां पिता सुल्तानखां, कौम तेली मुसलमान के नाम दर्ज थी। जिसके सम्बंध में जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 वाद पत्र के साथ पेश है। जिसके अनुसार खातेदार उजीर खां का 1/2 हिस्सा व खातेदार कालू खां का 1/2 हिस्सा निहित था। उजीर खां फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1483 द्वारा उजीर खां के प्रथम श्रेणी के वारिस वादी सायरी, भीकली, लाडू व घापूड़ी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज किया गया। इस प्रकार वादी का उजीर खां फौत होने पर उनके निहित 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/8 वां हिस्सा जरिये उतराधिकार निहित व दर्ज हुआ। जो म्यूटेशन संख्या 2377 जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में है से स्पष्ट है। म्यूटेशन संख्या 2377 वादी की बहन लाडू द्वारा अपना निहित 1/8 वां हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 में से क्रेता सुरजाराम पिता प्रहलादराम कौम विश्नोई, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 में से क्रेता मोहनी पत्नी जोराराम कौम विश्नोई व वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 में से क्रेता गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम कौम विश्नोई को किये गये बैचान के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त म्यूटेशन संख्या 2377 में वादी का 1/8 वां हिस्सा निहित व दर्ज होना लिखा है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 की आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का इन्द्राज नही किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्से का इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम जाति विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 में सुरजाराम का उक्त जमाबन्दी में 7/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 की आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इन्द्राज नही किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 व० हिस्से का इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 में गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई का उक्त जमाबन्दी में 7/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 की आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय मूलवश वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का इन्द्राज नहीं किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्से का इन्द्राज मोहनी पत्नी मेराराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 में मोहनी पत्नी भेराराम जाति विश्नोई का उक्त जमाबन्दी में 1/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। मोहनी पत्नी भेराराम कौम विश्नोई द्वारा अपना 1/8 वां हिस्सा व लिपिकीय भूलवश वादी का उसके नाम दर्ज 1/8 वां हिस्सा कुल 1/4 हिस्सा सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई को बैचान कर दिया, जबकि मोहनी को कानूनन अपना 1/8 वां हिस्सा ही क्रेता सुरजाराम को बैचान करने का हक व अधिकार था। मोहनीदेवी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिपिकीय भूलवश दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के 1/8 वां हिस्से के सम्बंध में सुरजाराम को किया गया वैचाननामा कानून की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है। जिसके आधार पर क्रेता सुरजाराम को कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। सुरजाराम ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर वादी का 1/8 वां हिस्सा सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई को बैचान कर दिया जो बैचाननामा कानून की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है। जिसके आधार पर क्रेता सिवरी को कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। इसके आगे की जमाबन्दी में भी यानि चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में भी वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा चली आ रही लिपिकीय भूल अनुसार सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया जो वर्तमान में भी सुरजाराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में भी वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा चली आ रही लिपिकीय भूल अनुसार गोगीदेवी पत्नी सुरजारामकौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया जो वर्तमान में भी गोगीदेवी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में भी वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा चली आ रही लिपिकीय भूल अनुसार सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया जो वर्तमान में भी सिवरी के नाम दर्ज है। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा की गयी लिपिकीय भूल से वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा सुरजाराम के नाम दर्ज किये जाने से. वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 में. निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा गोगीदेवी के नाम दर्ज किये जाने से, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा सिवरी के नाम दर्ज किये जाने से तथा इसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज सही इन्द्राज के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नहीं है अपितु श्रीमान सक्षम है, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83, 104 व 105 में जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार वादी के दर्ज 1/8 व० हिस्सा जो चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में हल्का पटवारी द्वारा की गयी लिपिकीय भूलवश दर्ज नही है, जिसे चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार दर्ज/दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी वृद्ध महिला है तथा वर्तमान में दुर्गा कालोनी, रामदेव रोड़ पाली तहसील व जिला पाली में निवास करती है तथा चालु जमाबन्दी में सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से उसका निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश दर्ज नही किये

सहायक कलक्टर
एवं उ... अधिकारी
...

जाने से चालु जमाबन्दी में वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु स्वयं उपस्थित होकर कानूनी कार्यवाही नही कर सकती है इसलिए वादी द्वारा उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही करने के लिए मुझ कैलाश पुत्र रामलाल, जाति विश्नोई के पक्ष में दिनांक 03.02.2025 को खास मुख्त्यारनामा निष्पादित कर अधिकृत किया। इसलिए वादी सायरी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि का मुझ खास मुख्यार कैलाश द्वारा पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 के खातेदार सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 के खातेदार गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई व वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 के खातेदार सिवरी पत्नी बलवीर, रामलाल पुत्र शिवराम, सोनीदेवी पत्नी रामलाल जातियान विश्नोई को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है क्योकि वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योकि चालु जमाबन्दी में जो लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज किया गया है वो हल्का पटवारी द्वारा किया गया तथा हल्का पटवारी प्रतिवादी के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी है, इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मात्र प्रतिवादी को पक्षकार बनाया है। वादकारण हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की खतौनी के समय लिपिकीय भूलवश वादग्रस्त कृषि भूनि खसरा संख्या 83, 104, 105 में से वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा दर्ज नहीं किये जाने से, चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खतौनी के समय भी चली आ रही लिपिकीय भूल के अनुसार गलत इन्द्राज किये जाने से तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा दर्ज नहीं किये जाने से। चालु जमाबन्दी में दर्ज उपरोक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क किया तथा चालु जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज के स्थान पर सही इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार दुरुस्ती हेतु निवेदन किया तो उनके द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादकारण बमुकाम् ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। दावा बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि के लिए होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 2.9609 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर ख०, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे तथा आदेशानुसार दुरुस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे तथा आदेशानुसार दुरुस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/4 जाति विश्नोई सा. पीथावास खातेदार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/8 जाति विश्नोई सा. पीथावास, सायरी पुत्री उजीर ख़ां, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार शेष बदस्तूर दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे तथा आदेशानुसार दुरुस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 83 रकबा 2.9609 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय सम्पूर्ण चालु जमाबन्दी में खातेदार सुरजाराम के नाम, खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय सम्पूर्ण चालु जमाबन्दी में खातेदार गोगीदेवी के नाम व खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय चालु जमाबन्दी में खातेदार रामलाल का 3/8 हिस्सा, खातेदार सिवरी का 1/4 हिस्सा व खातेदार सोनीदेवी का 3/8 हिस्सा दर्ज है। खसरा संख्या 83, 104 व 105 पूर्व में जमाबन्दीं सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार खातेदार उजीर खाँ पिता अल्फू खां, कालू खा पिता सुल्तानखा कौम तेली मुसलमान के नाम दर्ज थी। जिसके अनुसार खातेदार उजीर खाँ का 1/2 हिस्सा व खातेदार कालू खाँ का 1/2 हिस्सा निहित था। खातेदार उजीर खाँ फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1483 द्वारा उजीर खाँ के प्रथम श्रेणी के वारिस वादी सायरी, भीकली, लाडू व धापूड़ी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज किया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 83, 104 व 105 में वादी का उजीर खाँ फौत होने पर उनके निहित 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/8 वां हिस्सा, 1/8 वां हिस्सा भीकली का, 1/8 वां हिस्सा लाडू का व 1/8 हिस्सा धापूड़ी का जरिये उतराधिकार निहित व दर्ज हुआ। वादी की बहन लाडू द्वारा अपना निहित 1/8 वां हिस्सा खसरा संख्या 83 में से क्रेता सुरजाराम पिता प्रहलादराम कौम विश्नोई, खसरा संख्या 104 में से क्रेता मोहनी पत्नी जोराराम कौम विश्नोई व खसरा संख्या 105 में से क्रेता गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम कौम विश्नोई को बैचान किया, जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 2377 स्वीकृत किया गया। खसरा संख्या 83 की सम्वत् 2052 से 2055 के आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का इन्द्राज नही किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्से का इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम जाति विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि खसरा संख्या 83 में सुरजाराम का उक्त जमाबन्दी में 7/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। खसरा संख्या 105 की सम्वत् 2052 से 2055 के आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का इन्द्राज नही किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्से का इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि खसरा संख्या 105 में गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति विश्नोई का उक्त जमाबन्दी में 7/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। खसरा संख्या 104 की सम्वत् 2052 से 2055 के आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खतौनी के समय वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा का इन्द्राज नही किया तथा वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्से का इन्द्राज मोहनी पत्नी भेराराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया, जबकि खसरा संख्या 105 में मोहनी पत्नी भेराराम जाति विश्नोई का उक्त जमाबन्दी में 1/8 वां हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। मोहनी पत्नी भेराराम कौम विश्नोई द्वारा वादी का 1/8 वां गलत इन्द्राज के आधार पर सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई को बैचान कर दिया। सुरजाराम ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर वादी का 1/8 वां हिस्सा सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई को बैचान कर दिया। सम्वत् 2068 से 2071 के आगे की जमाबन्दी यानि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में भी वादी का खसरा संख्या 83 में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार खसरा संख्या 105 में वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 104 में वादी का निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया। खसरा संख्या 83, 104 व 105 की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में वादी का जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार निहित व दर्ज 1/8 वां हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार वादी का निहित 1/8 वां हिस्सा दर्ज/दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 83 रकबा 2.9609 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार दुरूस्त /शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार दुरूस्त /शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/4 जाति विश्नोई सा. पीथावास खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/8 जाति विश्नोई सा. पीथावास, सायरी पुत्री उजीर खां, हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार शेष बदस्तूर दुरूस्त/शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र कैलाश पुत्र रामलाल जाति विश्नोई पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 के खसरा नम्बर 104, 105, 83 ग्राम भावी जाटाबास, प्रदर्श 2 म्यूटेशन सं. 2377 ग्राम भावी जाटाबास, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खसरा नंबर 1085, 235, 865, प्रदर्श 4 म्यूटेशन सं. 4267 ग्राम भावी जाटाबास की ई प्रति, प्रदर्श 5 मुख्त्यारनामा आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व ग्राम भावीजाटाबास के खसरा नंबर 104, 105, 2230 व 83 में खातेदार उजीर खां व कालू खां के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थे। खातेदार उजीर खां के फौत होने पर भीकली, लाडू, धापूडी, सायरी पुत्री उजीर खां के नाम जरिये म्यूटेशन सं. 1483 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। खातेदार भीकली, धापूडी पुत्री उजीर खां द्वारा कालू खां के पक्ष में जरिये म्यूटेशन सं. 1895 हकतर्क किया गया। खातेदार लाडू पुत्री उजीर खां द्वारा खसरा सं. 83 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बैचान सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसकी पुष्टि म्यूटेशन सं. 2377 द्वारा की गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 104 में खातेदार लाडू पुत्री उजीर खां द्वारा अपना

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/8 हिस्सा मोहनी पत्नी जोराराम कौम विश्नोई तथा खसरा सं. 105 में खातेदार लाडू पुत्री उजीर खां द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम कौम विश्नोई को बेचान किया जिसके उपरान्त म्यूटेशन सं. 2377 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व ग्राम भावीजाटाबास के खसरा नंबर 104, 105, 2230 व 83 में खातेदार सायरी पुत्री उजीर खां द्वारा अपने 1/8 वां हिस्से का बैचान नहीं किया गया। किन्तु राजस्व जमाबंदी संवत् 2068-2071 के खसरा सं. 83 में खातेदार सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम हिस्सा पूर्ण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2068-2071 के खसरा सं. 105 में खातेदार गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा पूर्ण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2068-2071 के खसरा नंबर 104 में खातेदार वादीया का 1/8 वां हिस्सा इन्द्राज नहीं करके खातेदार मोहनी पत्नी भेराराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त खसरान में लिपिकीय त्रुटिवश वादिया सायरी पुत्री उजीर खां 1/8 वां हिस्सा इन्द्राज नहीं किया गया। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास के खसरा नंबर 105 में खातेदार मोहनी पत्नी भैराराम कौम विश्नोई द्वारा वादिया का 1/8 वां गलत इन्द्राज के आधार पर सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई को बैचान कर दिया। इसी प्रकार सुरजाराम ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर वादीया का 1/8 वां हिस्सा सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई को बैचान कर दिया। सम्वत् 2068 से 2071 के आगे की जमाबन्दी यानि चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में भी वादीया का खसरा संख्या 83 में निहित 1/8 वां हिस्सा सुरजाराम पुत्र प्रहलादराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार खसरा संख्या 105 में वादीया का निहित 1/8 वां हिस्सा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 104 में वादीया का निहित 1/8 वां हिस्सा सिवरी पत्नी बलवीर कौम विश्नोई के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम भावीजाटाबास के खसरा नंबर 83 में सुरजाराम पुत्र प्रहलादार 7/8 वां हिस्सा, सायरी पुत्री उजीर खां 1/8 वां हिस्सा व खसरा नंबर 105 में गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 वां तथा खसरा नंबर 104 में सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/8 जाति विश्नोई सा. पीथावास, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 शुद्ध किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। उपरोक्त खसरान में वादिया सायरी पुत्री उजीर खां 1/8 वां हिस्सा राजस्व जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटिवश इन्द्राज नहीं किया गया। अतः उपरोक्त त्रुटियां जो लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज की गई, उनको दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम भावी जाटावास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 83 रकबा 2.9609 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली

सहायक कलक्टर
एवं उप ... अधिकारी
बिलाड़ा

मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/4 जाति विश्नोई सा. पीथावास खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/8 जाति विश्नोई सा. पीथावास, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीया :- सायरी | **बनाम** | **प्रतिवादीगण :-** सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दुरुस्ती/शुद्धि हेतु

राजस्व वाद संख्या :- **22/2025**

दिनांक :- 5/5/25

<u>निर्णय</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादीया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम भावी जाटावास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 83 रकबा 2.9609 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सुरजाराम पिता प्रहलादराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 105 रकबा 4.0450 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज गोगीदेवी पत्नी सुरजाराम हिस्सा 7/8 जाति विश्नोई सा. लाम्बा, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा संख्या 104 रकबा 3.6081 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/4 जाति विश्नोई सा. पीथावास खातेदार के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 के अनुसार सही इन्द्राज सिंवरी पत्नी बलवीर हिस्सा 1/8 जाति विश्नोई सा. पीथावास, सायरी पुत्री उजीर खां हिस्सा 1/8 जाति तेली मुसलमान सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा